न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–88/2018

CIS NO TS 60/2019

बिरेन्द्र कुमार.....वादी

बनाम

शेख ओसियर.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
05.05.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.01.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 दयाशंकर प्रसाद के मृत्यु दिनांक 23.10.2003 को हो चुका है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में दो पुत्र अभिषेक श्रीवास्तव और अभिनव श्रीवास्तव को छोड़कर मरे है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी के नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का कृपा किया जाए। वादी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 दयाशंकर प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है, जिसे वादी भी स्वीकार करते है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.01.2025 को स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक प्रतिवादी सं0–02 दयाशंकर प्रसाद का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानों का	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–88/2018</u>

<u>CIS NO TS 60/2019</u>

बिरेन्द्र कुमार.....वादी

बनाम

शेख ओसियर.....प्रतिवादी

लगातार 05.05.2025	नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है। वाद दिनांक 10.06.2025 वास्ते अग्रिम कार्रवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	